न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 1392 I-17

प्रकरण कमांक /2017 पुनरीक्षण

1. श्यामकुमार आत्मज वेदहीचरण पाराशर

द्वारा मुख्त्यार आम राम कुमारपाराशर

2. रामकुमार पाराशर आत्मज वेदहीचरण

निवासी कमलागंज शिवपुरी मध्यप्रदेश

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

श्री ... को आज दि. 17-5-17 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-5-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपर कलेक्टर जिला– शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 2/14–15 अ–74 में पारित आदेश दिनांक 19–04–2017 के विरूद्ध पुनरीक्षणअन्तर्गत धारा50मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर यह आवेदकगणप्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण को सुनवायी का अवसर दिये बिना विवादित आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है. आवेदकगण को दिनांक 19–04–2017 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र दिया गया था. आवेदकगण नियत दिनांक को उपस्थित हूए तब उन्हे बताया गया कि प्रकरण में आदेश पारित किया जा चुका है. ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुरुप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है.
3. यह कि, आवेदकगण को दिये गये सुचना पत्र मे ग्राम मनियर की भूमि सर्वे कमांक 165 का बिना डायवर्सन कराये उस पर अवैध कालोनी का निर्माण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - शिवपुरी

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1392-एक/17

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर**	